INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI-110 001

F.No.GAC-4(03)/2022-CDN Dated: 3rd August, 2022

Sub: Proceedings of 40th Meeting of the Central Joint Staff Council (CJSC) held on 18th June, 2022 at NASC Complex, Pusa, New Delhi-Regarding.

A copy of the proceedings of the 40th Meeting of the Central Joint Staff Council of Indian Council of Agricultural Research held on 18th June, 2022 is forwarded herewith for information and necessary action. It is requested that action taken on the recommendations made in the meeting may be intimated to the undersigned within fifteen days.

3/8/22
(Sumit Kumar Jindal)
Deputy Secretary (GAC)

Distribution:

1. All the Official and Staff Side Members of the Central Joint Staff Council of Indian Council of Agricultural Research (By name).
2. PSO to DG, ICAR & Chairman, CJSC/ Sr. PPS to Secretary, ICAR/ PPS to FA, DARE & ICAR.
3. All Directors/ Project Directors of Research Institutes / NRCs/ Bureaux/ Project Directorates/ ATARIs with the request that the proceedings of the meeting may also be circulated to Regional/ Sub-Centres.
4. DKMA for uploading the proceedings on the website of ICAR.

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN : NEW DELHI

Proceedings of the 40th Central Joint Staff Council Meeting held at A.P. Shinde Seminar Hall, N.A.S.C. Complex New Delhi on 18th June, 2022.

The 40th Central Joint Staff Council (CJSC) Meeting of the Indian Council of Agricultural Research was held under the Chairmanship of the Hon'ble Director General, ICAR at A.P. Shinde Seminar Hall, NASC Complex, Pusa, New Delhi, on 18th June, 2022.

Hon'ble Director General, ICAR and the Chairman of CJSC reviewed the action taken report (ATR) of 39th Meeting held on 04/09/2019. Thereafter, the issues of the 40th Meeting were discussed and the following decisions were taken:

Sl. No.	Issues raised by Staff Side	Decision Taken
1.	One Time Relaxation in qualifying Service/ Recruitment Rules of Group B & C post of Administrative cadre to make them eligible to get benefit of Cadre Review-2017. **Action: Dir(Admn.)**	Action has already been taken by the ICAR vide letter 11-4/2021/R&P dated 17th March, 2022 regarding One-Time Relaxation in qualifying service/ recruitment rules for B & C Cadre. Action shall be taken as per DoPT guidelines. Still, it can be reviewed to ascertain possibilities. Separate Recruitment Rules (RR) should be submitted for all posts in B & C cadres. It was brought to the notice of the Director General that more than one year has passed since the implementation of Cadre Review decision-2017 and many Private Secretaries have retired since than without any promotion in many institutions. Therefore, promotion form Private Secretary to the post of Principal Private Secretary should be ensured at the earliest.
2.	Restoration of Pay Parity of Assistants/ Personal Assistants and Asstt. Admn. Officer/Private Secretary of ICAR Research Institutes with their counterparts at ICAR Hqrs (as per Union Cabinet decision and ordered by the Hon'ble Supreme Court). **Action: Dir(Admn.)**	The Chairman, CJSC gave his consent and informed that matter would be resolved soon. File will be sent to Ministry of Finance during next week and action will be taken as per their advice in consultation with the Ministry.
3.	Implementation of Union Cabinet's decision 1997 in toto.	It was informed by the Director General that this point is related to item number 2 above. Accordingly, action will

	Action: Dir(Admn.)	be taken after completion of decision on item number 2 above.
4.	Removal of stagnation of Assistant by making provision for permanent absorption of deputationists AAO where feeder cadre is not affected like IARI-Jharkhand, IARI-ASSAM and others institutes of ICAR etc. **Action: Dir(Admn.)**	It was informed that the possibilities may be explored to adjust the AAOs whose are on deputation and where no feeder Cadre is affected.
5.	To provide relaxation on filling APAR through sparrow for SSS employees. **Action: Dir(Admn.)**	Extension of last date for submission of APARs for all employees has been considered. Accordingly, the last date has been extended up to 7th July, 2022.
6.	Timely DPC for promotion of Administrative and Technical Staff. **Action: Dir(Admn.)/Dir(TS)**	1.-In order to streamline, it was directed to issue guidelines to all ICAR Institutes for timely holding of DPCs. Further, the matter may be monitored by SMD/DDG level. 2.-All the Institutes will submit a quarterly report with regard to holding of DPC for the promotion of employees. 3.-As per the Instructions of DoPT, the Meeting for promotions of Administrative and Supporting Staff must be held on or before 31st December and ATR should be furnished to the SMDs on or before 31st January.
7.	Agenda from 11 ATARI's. **Action: Dir(Admn.)**	In this regard it was suggested that combined seniority list may be prepared for all the 11ATAR's. Director (Admn) is directed to examine the matter and try to explore the possibilities so that action may be taken accordingly.
8.	Framing ICAR Administrative Service Rules. **Action: Dir(Admn.)**	In the absence of the concerned member, the issue was withdrawn by the Secretary, Staff Side.
9.	One-time relaxation to experienced SSS staff to promote to T1 (DR) post. **Action: Dir(TS)**	A proposal by collecting data from all the Institutes be prepared so that possibilities of direct recruitment of experienced SSS employees to T-1 can be considered/explored.
10.	Request to remove the anomalies between diploma and degree holders for next higher merit promotion in Group-III - "'Workshop staff	This subject is still under process and will be kept in the nexd meeting of General Body.

	including engineering "Workshop staff" regarding. **Action: Dir(TS)**	
11.	Provision of study leave for all Technical staff of ICAR for acquiring higher qualification like Diploma, Graduate or Postgraduate. **Action: Dir(TS)**	
12.	Persisting Anomalies in Technical Services. A). One-time opportunity to opt new Technical Service Rules by those who have opted old TSR. **Action: Dir(TS)**	Since two opportunities have already been given to the technical staff for opting of TSR. It has been desired that one more opportunity can be provided, if there is no financial liabilities
	B). Uniform policy to grant the Notional/Financial benefit to auxiliary category as per the judgment of hon'ble APEX Court. **Action: Dir(TS)**	This does not apply uniformly to all. This issue, is required to be examined in consultation with legal cell of the Institutes.
	C). Change of functional group of technical staff within the same category` **Action: Dir(TS)**	At present no rules have been prescribed in this regard. Action will be taken as per new rules, when the proposal is received.
13.	Forwardal of applications on Deputation and Inter-Instituional to other ICAR institute. **Action: Dir(Admn.)/Dir(TS)**	Action will be taken on the basis of the applications received from the employees and each application will be considered separately. Necessary guidelines have been issued in this regard.
14.	Request for Online inter-intuitional transfer policy of Admin & Technical Employees. **Action: Dir(Admn.)/Dir(TS)**	This matter will be considered later on.
15.	In Accordance with DoPT guidelines, Administrative Staff's rotation transfer policy should be made for smooth Administrative functioning. **Action: Dir(Admn.)**	Rotation Transfer Policy for the Officers of combined cadre is already exists in the Council. However, a Committee has already been constituted for making such rotational transfer policy for other employees. After getting the recommendations of the Committee, the same will be implemented. Moreover, it has been advised that the subject of DPC should also be included in the APAR of the Director and other Administrative Officers of the Institutes.

16.	Harassment of IJSC/CJSC Members and their transfer to regional Centers of the Institute in the absence of transfer policy of the concerned Institute. **Action: Dir(GAC)**	The guidelines/ instructions have already been issued from time to time by the Council in this regard. However, the instructions will be reiterated again.
17.	Providing medical facilities to the ICAR employees while on tour, leave etc. outside his headquarters station and to his/her family residing at old station of posting or native place or proceedings alongwith the employees to a place where an ICAR Institute/Centre is located. **Action: J.S.(Per.)**	Guidelines have already been issued in this regard.
18.	Request for CGHS facility to the employees of ICAR Institute located under CGHS Areas at different States/Districts. **Action: J.S.(Per.)**	The issue was dropped with the consent of the House.
19.	Timely elections of IJSC/CJSC. **Action: Dir(GAC)**	List of such Institutes should be prepared and so that Director (GAC) should have to take up with the concerned Directors for holding the timely election of the IJSC/ CJSC.
20.	Holding of CJSC Follow-up Action Committee Meeting. **Action: Dir(GAC)**	Director (GAC) has been instructed to organize the meeting of Follow-up Action Committee (FAC) on quarterly basis.
21.	Online Guest House Booking facility for ICAR Delhi Based Guest House. **Action: Dir(GAC)**	Facility of Centralized On-Line Booking System of Guest House by DKMA of the Council is under progress. The data of 63 ~~date~~ Insts have been collected so far.
22.	The CJSC Meeting's proceeding is only issued in English which should be issued bilingual. **Action: Dir(GAC)**	The proceedings of the CJSC meeting will be issued in bilingual.
23.	Request to give opportunity to UDC / Assistant (having graduate qualification) to get promotion option to AFAO post by conducting the departmental Exam. **Action: Dir(Admn.)**	Action is being taken in this regard and such a provision are being made in the new recruitment rules.

24.	ID For All CJSC Members. **Action: Dir(GAC)**	Identity Cards are issued as per the guidelines of MHA. However, MHA Validation Slip will be issued to CJSC Members.
25.	Allotment of Office Accommodation at Krishi Bhavan of ICAR Hqrs, to the Secretary (Staff Side), CJSC, i.e. National JCM of ICAR as per JCM Scheme provided under DoPT guidelines. **Action: Dir(GAC)**	Due to paucity of space in Krishi Bhawan, it is not possible to provide a separate space for the Secretary, CJSC. However, the Secretary of CJSC can stay in the room of Secretary of HJSC, whenever he visits the Council Hqrs. Other possibilities will be explored in this regard.
26.	To provide reservation quota to the children of ICAR staff under graduate B.SC. and M.SC. in ICAR Deemed University. **Action: Dir(Agril.Edn.)**	The Council provide reservation for admission in BSc graduation and MSc postgraduation courses as per this prescribed rules of Govt. of India. The request cannot be entertained in any way.
27.	Regularization of DPL (Casual Labour without Temporary Status) in ICAR Institutes. **Action: Dir(Admn.)**	Director (GAC) informed that keeping in view the decision taken by the Council in this context of DoPT guidelines issued vide their O.M. dated 11.12.2006, the action was taken and the employees of IARI, NBPGR and other Institutes were regularized. In this regard the request of CJSC will be examined in the Council.
28.	Date of Next Annual Meeting of CJSC.	The next annual meeting of CJSC is scheduled to be held in Goa in April, 2023.
29.	**Any other agenda Item with the permission of Hon'ble Chairman, CJSC.**	
(A)	Chairman was apprised of the delay in referring of the proposal on Technical Cadre & Anomaly to Ministry of Finance by Secretary, Staff Side regarding for immediate action therein. **Action: Dir(TS)**	The matter is under process.
(B)	Additional Posts were for Asstt. Admirative Officer were sought by Member, IING Ranchi. **Action: Dir(Admn.)**	Necessary action will be taken after receiving self contained proposal.
(C)	Staff Side requested to implement briefcase and hospitality allowance in every Institute. **Action: Dir(GAC)**	It was informed by the Deputy Secretary (GAC) that matter is under consideration
(D)	Sh. Naresh Kumar, Member FAC, submitted to the Chairman that avenues of promotion are	This matter is under consideration.

	very low in the case of educated persons belonging to CSK mainly due to severe dearth of posts in other functional group T-1 in addition to Farm field Cadre resulting in deprivation of promotion to employees of other functional group as they lack experience in desirable field since they are appointed/posted in different places by Institute. Therefore, it is requested that all this CSK employees may be granted promotion as per their seniority after preparing a single seniority list. The promote can be imparted skill three months or maximum one year in that or same Institute where he has to work in this filed. We observe that only Matriculation qualification is essential for T-1 (Direct recruitment) & after confirmation there is a provision for keeping them in the filed there this is requirement for by imparting training for a year. Similarly CSK employee can be provided training for three months or max. a year after promotion by seniority in T-1 so as to make therein Skilled in the same filed. **Action: Dir(TS)**	
(E)	The House was apprised by the staff side that about 110 officers/employees dies due to cases of Covid in the Council and Institutes. So while expressing condolences to them, it is requested that one member from each such family should be appointed on compassionate ground. **Action: Dir(Admn.)/Dir(TS)**	Action is being taken as per DoPT rules.
(F)	The Director of Institute must have the power of exemption to the effect that if this family of any employee or pensioner employee is large, the in that case they may be covered under AMA	If there is any issue, the same may be referred to the Council for taking appropriate action in the matter.

	system & as such it will not cause any financial burden on the Institute. There should be a such contract arrangement between AMA & MOU that they will charge their consultation fee as per CGHS rates providing medical facilities to Pensioner & his family & this will also Check making multiple records of Institute in refuel case but Medical reimbursement must be paid from his parent Institutes only. For this purpose then service of AMA could be availed by other Institute also his nominating the said AMA. **Action: Dir(Admn.)**	
(G)	All other issues were put-up before this House by the members of Council Hqrs & Staff side of Institute.	A written request alongwith supporting documents should be routed through Secy(CJSC).

03/08/22

सुमित कुमार जिंदल
SUMIT KUMAR JINDAL
उपसचिव/Deputy Secretary
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/I.C.A.R.
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन : नई दिल्ली ।

मिसिल संख्या जी.ए.सी. 4(03)/2022-समन्वय

दिनांक: 03 अगस्त, 2022

विषय: दिनांक 18 जून, 2022 को एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली मे सम्पन्न हुई केंद्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद (CJSC) की 40 वीं बैठक का कार्यवृत।

केंद्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद (CJSC) की 18 जून, 2022 को सम्पन्न हुई 40 वीं बैठक की कार्यवाही की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित की जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि बैठक में की गई सिफारिशों पर, की गई कार्यवाही को पंद्रह दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए।

03/08/22
(सुमित कुमार जिंदल)
उपसचिव (सा. प्रशा.)

वितरण:-

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की केंद्रीय संयुक्त स्टाफ परिषद के सभी अधिकारी और कर्मचारी पक्ष के सदस्य (नाम से)।
2. प्रधान स्टाफ अधिकारी, महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. और अध्यक्ष, सीजेएससी / वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव, भा.कृ.अनु.प. / प्रधान निजी सचिव, वित सलाहकार, डेयर/भा.कृ.अनु.प.।
3. अनुसंधान संस्थानों/एनआरसी/ब्यूरो/परियोजना निदेशालयों/एटीएआरआई के सभी निदेशकों/परियोजना निदेशकों/परियोजना निदेशकों को इस अनुरोध के साथ कि बैठक की कार्यवाही को क्षेत्रीय/उप-केन्द्रों को भी परिचालित किया जा सकता है।
4. आईसीएआर की वेबसाइट पर कार्यवाही अपलोड करने के लिए डीकेएमए।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Final

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन : नई दिल्ली

18 जून, 2022 को ए.पी. शिंदे संगोष्ठी हॉल, एन. ऐ. एस. सी. कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 40 वीं केंद्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठक की कार्यवाही।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 40वीं केंद्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद (CJSC) का आयोजन 18 जून, 2022 को आई.सी.ए.आर. के महानिदेशक की अध्यक्षता में ए.पी. शिंदे संगोष्ठी हॉल, एन.ऐ.एस.सी., कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में किया गया था।

परिषद के महानिदेशक एवम सीजेएससी के माननीय अध्यक्ष ने 04.09.2019 को आयोजित 39 वीं बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट (ए.टी.आर.) की समीक्षा की। तदोपरांत 40वी बैठक के मुद्दों को उठाया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

मद सं.	कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाया गया मुद्दा	बैठक का निर्णय
1.	संवर्ग समीक्षा -2017 के लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें पात्र बनाने के लिए प्रशासनिक संवर्ग के ग्रुप 'बी' और 'सी' के पद के लिए अर्हक सेवा/भर्ती नियमों में एकमुस्त रियायत देना। Action: Dir(Admn.)	परिषद द्वारा बी एवं सी संवर्ग में अर्हक सेवा/भर्ती नियमों में एकमुश्त छूट के विषय में पत्रांक 11-4/2021/R&P दिनांक 17 मार्च 2022 के द्वारा पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है । DoPT के नियमों अनुसार कार्यवाही की जाये । फिर भी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए पुनः जाँच की जा सकती है। बी एवं सी संवर्ग में प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक रूप से भर्ती नियम (आर.आर.) प्रस्तुत किये जाये । महानिदेशक महोदय के संज्ञान में लाया गया कि संवर्ग समीक्षा-2017 को लागू हुए एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है । और इस अवधि में कई संस्थानों में निजी सचिव बिना पदोन्नत हुए सेवा निवृत्त हो रहे हैं। अतः निजी सचिव से प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोन्नति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाये ।
2.	भा.कृ.अ.प. और अनुसंधान संस्थानों के सहायक/निजी सहायक और	अध्यक्ष महोदय के.सं.क.प द्वारा अपनी सहमति प्रस्तुत की गई। तथा सदन को

	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निजी सचिव के वेतन समानता को भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में स्थिति उनके समकक्ष के बराबर पुनः स्थापित करना (केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के अनुसार) । Action: Dir(Admn.)	सूचित किया कि मामले का जल्द निवारण किया जाएगा। इस क्रम में आने वाले सप्ताह में संबंधित मिसिल वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी तथा मंत्रालय के साथ सामंजस्य स्थापित करके वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार आदेश जल्द जारी किए जांएगे।
3.	केन्द्रीय मंत्रिमंडल के 1997 के निर्णय को पूर्णतःलागू करना । Action: Dir(Admn.)	महानिदेशक महोदय द्वारा इस मद में सदन को अवगत कराया गया कि यह मद संख्या 2 से ही संबंधित है, इस पर कार्यवाही, मद संख्या 2 में कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही विचार किया जाएगा।
4.	प्रतिनियुक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी का स्थायी आमेलन के लिए प्रावधान करके सहायक के गतिरोध को हटाया जाए जहां फीडर संवर्ग प्रभावित नहीं है जैसे आईएआरआई झारखंड) के आई.ए.आर.आई. असम और आई.सी.ए.आर. आदि के अन्य संस्थान । Action: Dir(Admn.)	इस मद के सम्बन्ध में बताया गया कि सहा.प्रशा.अधि. के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद को समायोजित किया जा सकता है इसकी सम्भावनाओं की जाँच की जाये।
5.	एसएसएस कर्मचारियों के लिए स्पैरो के माध्यम से एपीएआर भरने पर छूट देना । Action: Dir(Admn.)	सभी कर्मचारियों के लिए भी ए.पी.ए.आर प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है । तदानुसार इस संबंध मे समय सीमा 7 जुलाई, 2022, तक बढ़ा दी गई है ।
6.	प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ की पदोन्नति के लिए समय पर डीपीसी का गठन । Action: Dir(Admn.)/Dir(TS)	1) इस प्रकार की कार्यप्रणाली मे सुधार लाने के लिए निर्देश जारी करने के लिए प्रशासन को निर्देश करते हुए कहा कि सभी संस्थानों को समयबद्ध डी.पी.सी. करने हेतु दिशानिर्देश जारी करना और इन मामलो पर संबन्धित उपमहानिदेशक/ एस.एम.डी स्तर पर निगरानी रखनी होगी ।

		2) सभी संस्थान कर्मचारियो की पदोन्नति की डी.पी. सी. आदि के संदर्भ मे तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे । 3) डी ओ पी टी के निर्देशानुसार प्रशासनिक तथा कुशल सहायी कर्मचारी को पदोन्नति की बैठक निश्चित रूप से 31 दिसम्बर हो, तथा इसकी कार्यवाही रिपोर्ट एस एम डी को 31 जनवरी तक अवश्य प्रस्तुत करे ।
7.	11 एटीएआरआई (अटारी) की कार्यसूची । Action: Dir(Admn.)	इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया कि सभी 11 ATARI को मिलाकर संयुक्त रूप में वरिष्ठता सूची तैयार की जा सकती है और निदेशक (प्रशासन) को निर्देश दिया गया कि इस विषय की समीक्षा की जाये । निदेशक अपने स्तर पर भी पदोन्नति की सम्भावनाओं पर विचार करे तदुउपरान्त कोई निर्णय लिया जा सकता है।
8.	भाकृअप- प्रशासनिक सेवा नियमों का निर्माण । Action: Dir(Admn.)	इस मद को प्रस्तुत करने वाले सदस्य की अनुपस्थिति के कारण सचिव कर्मचारी पक्ष द्वारा मुद्दे को वापस ले लिया गया।
9.	अनुभवी एस.एस.एस. कर्मचारियों को टी-1 (डीआर) पद पर पदोन्नत करने के लिए एक बारगी छूट । Action: Dir(TS)	इस सम्बन्ध में परिषद के सभी संस्थानों से आंकडे एक्त्र करके एक प्रस्ताव तैयार किया जाये ताकि अनुभवी एस. एस. एस. कर्मचारियों को टी-1 की सीधी भर्ती के विषय में किन किन सम्भावनाओं पर विचार किया जा सकता है।
10.	समूह-III, "इंजीनियरिंग वर्कशॉप स्टाफ सहित वर्कशॉप स्टाफ मेंअगली उच्च योग्यता पदोन्नति के लिए डिप्लोमा और डिग्री धारकों के बीच विसंगतियों को दूर करने के संबंध में अनुरोध । Action: Dir(TS)	यह विषय अभी प्रकियाधीन है तथा इस विषय को आगामी जीबी की बैठक में रखा जायेगा ।
11.	भा.कृ.अ.प. के सभी तकनीकी संवर्ग के स्टाफ सदस्यों को डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर जैसी उच्च योग्यता प्राप्त करने के	

	लिए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) का प्रावधान करना । Action: Dir(TS)	
12. (क)	तकनीकी सेवाओं में चली आ रहीं विसंगतियां; जिन लोगों ने पुराने तकनीकी सेवा नियमों का विकल्प लिया था उन्हें नए तकनीकी सेवा नियमों का विकल्प देने का एक बार और अवसर दिया जाना। Action: Dir(TS)	चूंकि तकनीकी कर्मचारियों को TSR के चयन हेतु पहले दो अवसर प्रदान किये जा चुके हैं और अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की वित्तीय बाधायें नहीं आती हैं तो तकनीकी कर्मचारियों को टीएसआर में एक और विकल्प को चुनने का अवसर दिया जा सकता है ।
12 (ख)	माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुसार सहायक श्रेणी (ऑक्सिलियरी कैटगरी को परिकल्पित (नोशनल) वित्तीय लाभ के अनुदान पर समान नीति । Action: Dir(TS)	यह सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता। इस मामले की जाँच के लिए संस्थानों एवं कानूनी प्रकोष्ठ के परामर्श से सभी संस्थानों से आंकडे एकत्र किये जायेगे।
12. (ग)	समान श्रेणी के भीतर तकनीकी कर्मचारियों के कार्यात्मक समूह का परिवर्तन । Action: Dir(TS)	इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई नियम निर्धारित नहीं है। नये नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तदानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
13.	भाकृअप के अन्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति और अंतर संस्थागत स्थानांतरण के लिए आवेदन अग्रेषित करना । Action: Dir(Admn.)/Dir(TS)	इस विषय में कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रत्येक आवेदन पर अलग से विचार किया जायेगा । इस विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है।
14.	प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों की ऑन-लाइन अंतर संस्थागत स्थानांतरण नीति के लिए अनुरोध । Action: Dir(Admn.)/Dir(TS)	इस मामले में फिर से विचार किया जायेगा ।

15.	डीओपीटी (DoPT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुचारू प्रशासनिक (कार्यकरण के लिए प्रशासनिक कर्मचारी आवर्तन स्थानांतरण नीति बनाई जानी चाहिए । Action: Dir(Admn.)	परिषद में अधिकारियों के संयुक्त संवर्ग के लिए रोटेशन स्थानान्तरण नीति पहले से ही बनी हुई है फिर भी अन्य कर्मचारियों के लिए रोटेशन स्थानान्तरण नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है और समिति की सिफारिशे प्राप्त होने के उपरान्त उनको लागू किया जायेगा। साथ ही साथ यह सलाह भी दी गई कि संस्थानों के निदेशकों और प्रशासनिक अधिकारियों की APAR में DPC के विषय को भी शामिल किया जाये।
16.	आईजेएससी/सीजेएससी सदस्यों का उत्पीड़न और संबद्ध संस्थान की स्थानांतरण नीति के अभाव में उनका संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों में स्थानांतरण। Action: Dir(GAC)	संस्थानों द्वारा IJSC/ CJSC के सदस्यों के उत्पीडन निवारण हेतु परिषद द्वारा पहले ही समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। फिर भी परिषद के द्वारा उन दिशा निर्देशों की पुनरावर्ति की जायेगी।
17.	भाकृअप के कर्मचारियों को मुख्यालय केन्द्र भाकृअप से बाहर दौरे या छुट्टी के दौरान अथवा तैनाती के पुराने या मूल स्थान पर रह रहे अथवा जहां भा.कृ.अप. संस्थान अथवा केन्द्र स्थित है वहां कर्मचारियों के साथ जा रहे परिवार को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करना। Action: J.S.(Per.)	इस संबंध में पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।
18.	विभिन्न / जिलों में सीजीएचएस क्षेत्रों के अधीन स्थित भाकृअप संस्थान के कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधा दिलाए जाने का अनुरोध । Action: J.S.(Per.)	सदन की सहमति से इस मुद्दे को विलोपित किया गया।
19.	आईजेएससी/सीजेएससी के समय पर चुनाव ।	ऐसे संस्थानों की सूची बनाई जाए एवं निदेशक (जी ए सी) द्वारा व्यक्तिगत रूप

	Action: Dir(GAC)	से उन संस्थानों के निदेशक से बात करके यथाशीघ्र चुनाव सुनिश्चित करवाये जाएं।
20.	सी.जे.एस.सी. की अनुवर्ती कार्रवाई समिति की बैठक आयोजित करना । Action: Dir(GAC)	प्रत्येक तिमाही में आवश्यक रूप से अनुवर्ती कार्रवाई समिति (FAC) की बैठक आयोजित कराने के लिए निदेशक (जी ए सी) को आदेशित किया।
21.	भाकृअप के दिल्ली स्थित अतिथि गृह के लिए ऑन-लाइन अतिथि गृह बुकिंग सुविधा । Action: Dir(GAC)	परिषद के DKMA द्वारा अतिथि गृहों की केन्द्रीयकृत ऑन-लाईन बुकिंग सिस्टम की सुविधा का कार्य प्रगति पर है तथा 63 संस्थानों से आंकड़े एकत्रित किये जा चुके है।
22.	सीजेएचसी की बैठक की कार्यवाही केवल अंग्रेजी की बजाए द्विभाषीय रूप में जारी होनी चाहिए। Action: Dir(GAC)	सीजेएससी की बैठक की proceedings निश्चित रूप से द्विभाषीय (bilingual) रूप मे जारी की जाएगी।
23.	विभागीय परीक्षा के आयोजन द्वारा यूडीसी/सहायक (जिसके पास स्नातक उपाधि हो) को एएफएओ पद पर पदोन्नति विकल्प पाने का अवसर देने का अनुरोध । Action: Dir(Admn.)	इस मद पर कार्रवाही की जा रही है एवं नए भर्ती नियमों में इस प्रकार का प्रावधान रखा जा रहा है।
24.	सीजेएससी के सभी सदस्यों के लिए पहचान पत्र । Action: Dir(GAC)	पहचान पत्र MHA के दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किये जाते हे। सीजेएससी सदस्यों को MHA की Validation Slip जारी की जाएगी।
25.	डीओपीटी दिशा-निर्देशों में पदत्त जेसीएम स्कीम के अनुसार सचिव (स्टाफ साइड), सीजेएससी अर्थात नेशनल जेसीएम ऑफ आईसीएआर को भाकृअप मुख्यालय में कृषि भवन में कार्यालय स्थान का आवंटन । Action: Dir(GAC)	कृषि भवन में जगह की कमी के कारण कर्मचारी पक्ष के सचिव के लिए अलग से स्थान उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है फिर भी CJSC के सचिव जब भी परिषद मुख्यालय की यात्रा के दौरान HJSC के सचिव के कक्ष में ठहर सकते है। बाकी इस विषय मे संभावनाऐ तलाश की जायेगी ।

26.	भाकृअप मानद विश्वविद्यालय में भाकृअप के कर्मचारियों के पूर्व-स्नातक, बी.एससी, एम.एससी उपाधि धारक बच्चों के लिए आरक्षण कोटा प्रदान करना । Action: Dir(Agril.Edn.)	परिषद द्वारा भारत सरकार के नियमों के अनुसार BSC स्नातक और MSC स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश हेतु आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इस अनुरोध पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता है।
27.	भाकृअप संस्थानों में डीपीएल (अस्थाई प्रास्थिति रहित नैमित्तिक श्रमिक) का विनियमन । Action: Dir(Admn.)	निदेशक (GAC) ने बताया कि DoPT के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.12.2006 के दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की गई थी तथा आई.ए.आर.आई., एन.बी.पी.जी.आर. और अन्य संस्थानों में DPL के कर्मचारियों को नियमित किया गया था। इस विषय में CJSC के अनुरोध की परिषद में जाँच की जायेगी ।
28.	सीजेएससी की अगली वार्षिक बैठक की तिथि	CJSC की अगली वार्षिक बैठक अप्रैल, 2023 में गोवा में किया जाना निश्चित हुआ है ।
29.	**माननीय अध्यक्ष सीजेएससी की अनुमति से कोई अन्य कार्यसूची मद ।**	
(क)	सचिव कर्मचारी पक्ष द्वारा तकनीकी कैडर व विसंगति के प्रस्ताव को वित मंत्रालय में भेजने में हो रहे विलंब से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया और निवेदन किया कि इस पर तत्काल कार्रवाही के लिए अनुरोध किया गया। Action: Dir(TS)	मामला प्रक्रियाधीन है ।
(ख)	सदस्य आई आई एन जी रांची द्वारा सहा. प्रशा. अधि. के अतिरिक्त पदों की मांगी की गई। Action: Dir(Admn.)	एक पूर्ण स्वत प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।
(ग)	कर्मचारी पक्ष द्वारा ब्रिफकेष व होस्पेटीलिटी भत्ता प्रत्येक संस्थान में लागू करने के लिए निवेदन किया ।	उप सचिव (जीएसी) के द्वारा बताया गया कि इस आशय मे कार्यवाही चल रही है।

	Action: Dir(GAC)	
(घ)	श्री नरेश कुमार एफ ए सी सदस्य, द्वारा अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया गया कि कु.स.क. जो षिक्षित हैं लेकिन उनके पदोन्नती के अवसर अत्यन्त कम है इसका मुख्य कारण फार्म फिल्ड के अतिरिक्त अन्य फक्षनल ग्रुप में टी-1 के पद बहुत कम हैं। अतः अन्य फक्षलन ग्रुप में कार्य करने वाले पदोन्नती से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वांछनीय क्षेत्र का अनुभव उनके पास नहीं होता क्योंकि उनकी नियुक्ति संस्थान के द्वारा अन्य अलग-अलग स्थानों पर की जाती है। अतः समस्त कुषल सहायी कर्मचारियों का एकल वरियता सूची बनाकर सभी को वरियता अनुसार पदोन्नती प्रदान किए जाने का निवेदन है। पदोन्नत कर्मचारी को तीन माह या अधिकतम एक वर्ष उस क्षेत्र में जिसमें उन्हें कार्य करना है दक्षता उसी संस्थान में दी जा सकती है। हम देखते हैं कि टी-1 (सीधी भर्ती) के लिए केवल मैट्रीक पास होना ही आवष्यक है, बाहल होने के बाद एक वर्ष की ट्रेनिंग देकर जिस क्षेत्र में उनकी आवष्यकता है वहां रखने का प्रावधान है इसी तरह कुषल सहायी कर्मचारी को टी-1 में वरियता से पदोन्नती के बाद तीन माह या अधिकतम एक वर्ष की ट्रेनिंग दी जा सकती है, ताकि उस क्षेत्र में उनकी दक्षता हो सके। Action: Dir(TS)	यह मामला परिषद मे प्रक्रियाधीन है ।

(ड)	कर्मचारी पक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि परिषद व इसके संस्थानों में कोविड के कारण लगभग 110 अधिकारी/कर्मचारियों की मृत्यु हो गई अतः उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को करूणामूलक नियुक्ति वर्तमान करूणामूलक कोटा 5 प्रतिषत के अतिरिक्त उक्त मामलों में नियुक्ति प्रदान की जाए । Action: Dir(Admn.)/Dir(TS)	DoPT नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
(च)	संस्थान के निर्देशक को यह छूट हो कि यदि किसी शहर में कर्मचारी एवं पेंशन धारक कर्मचारी की फैमिली अधिक है वहां ए एम ए रेपुटेशन के तहत बहाल कर सकते हैं एएमए बहाल करने में संस्थान पर कुछ भी वित्तीय भार नहीं होगा ऐएम ए के साथ एमओयू का अनुबंध हो कि वह सीजीएचएस के नियमों के अनुरूप अपनी परामर्श शुल्क लेंगे इससे पेंशन धारक और उनकी फैमिली को भी मेडिकल सुविधा प्रदान होगी रेफर होने की स्थिति में संस्थान में बार बार चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा लेकिन मेडिकल रेमबर्समेंट कर्मचारी व पेंशनर को उसके पेरेंट्स संस्थान से ही सुनिश्चित होना चाहिए इस प्रयोजन में इस एएमए की सेवा अन्य संस्थान भी नामित कर उठा सकते हैं । Action: Dir(Admn.)	यदि कोई मुद्दा है तो लिखित रूप से दें ताकि परिषद में विचार करके कार्यवाही की जा सके।
(छ)	परिषद मुख्यालय व संस्थान कर्मचारी पक्ष के सदस्यों द्वारा अन्य सभी मुद्दों को सदन के समक्ष रखा गया।	सभी मददों में लिखित निवेदन पर्याप्त दस्तावेजों के साथ परिषद को सचिव कर्मचारी पक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करे।

सुमित कुमार जिंदल
SUMIT KUMAR JINDAL
उपसचिव/Deputy Secretary
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/I.C.A.R.
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001